

भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 12/2023-एकीकृत कर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 26 सितम्बर, 2023

सा.का.नि. (अ) - केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उप धारा (5) और धारा 148 के साथ पठित, एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उप धारा (3) और उप धारा (4), धारा 6 की उप धारा (1) और धारा 20 के उपवाक्य (xxv) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 09/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 684 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, तालिका में, क्रम संख्या 10 के समक्ष, कॉलम (3) में परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक प्रतिस्थापित किया जाएगा।
“वर्शर्ते कि छूट प्रविष्टि (क) या प्रविष्टि (ख) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा प्राप्त ऑनलाइन जानकारी और डेटाबेस पहुंच या पुनर्प्राप्ति सेवाओं पर लागू नहीं होगी।”

2. यह अधिसूचना दिनांक 01.10.2023 से लागू होगी।

[फाइल संख्या -CBIC-190354/173/2023-TO (TRU-II) -CBEC]

(राजीव रंजन)
अवर सचिव, भारत सरकार

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 9/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 684 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित की गई थी और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 07/2023-एकीकृत कर (दर), दिनांक 26 जुलाई, 2023, सा.का.नि. 541 (अ), दिनांक 26 जुलाई, 2023 के तहत सरकारी राजपत्र में प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया है।

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (i)]

Government of India
Ministry of Finance
(Department of Revenue)

Notification No. 12/2023- Integrated Tax (Rate)

New Delhi, the 26th September, 2023

G.S.R.....(E).-In exercise of the powers conferred by sub-section (3) and sub-section (4) of section 5, subsection (1) of section 6 and clause (xxv) of section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), read with sub-section (5) of section 15 and section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue) No.9/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 684 (E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table, against serial number 10, in column (3), for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely: -

“Provided that the exemption shall not apply to online information and database access or retrieval services received by persons specified in item (a) or item (b).”.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st October, 2023

[F. No. - CBIC-190354/173/2023-TO(TRU-II)-CBEC]

(Rajeev Ranjan)
Under Secretary to the Government of India

Note: The principal notification number 9/2017 -Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* number G.S.R. 684 (E), dated the 28th June, 2017 and last amended *vide* notification no. 07/2023 -Integrated Tax (Rate), dated the 26th July, 2023 published in the official gazette *vide* number G.S.R. 541 (E), dated the 26th July, 2023.